कार्य महानिदेशक सी0 पी0 डब्ल्यू0 डी0

बनाम

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) एवं अन्य

दीवानी अपील सं0 1071/2002

4 फरवरी 2008

(डॉ. अरिजीत पासायल व अन्य बनाम सदाशिवम जे.जे.)

पूर्ववर्ती आधारित उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश का संदर्भ देते हुए तथ्यात्मक स्थिति किस प्रकार समान थी और अन्य पहलुओं पर भी विचार नहीं किया गया और अतः उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय भेज दिया गया।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय के प्रकरण *सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम चीफ इंजिनियर पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्य* के निर्णय को खारिज करना सही था अथवा नहीं। अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने यह कहा का उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्रा इस न्यायालय के प्रकरण *सुरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम चीफ इंजिनियर पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्य]* के आदेश के संदर्भ के अलावा यह भी नहीं

दर्शाया गया है कि दोनों प्रकरणों में तथ्य स्थिति एक समान कैसे थी। *सुरेन्द्र सिंह* प्रकरण इस संदर्भ में था कि दैनिक वेतन भोगियों को 'समान कार्य' के लिए ''स्थाई कर्मचारियों'' को दिए जाने वाले समान वेतन का अधिकार प्ारप्त है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई तथ्यात्मक खोज नहीं है कि जो काम किया गया था वह अभिन्न हो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिन्दु जैसे साईकिल भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, वेतन वृद्धि आदि पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि यह केवल उन श्रमिकों को देय होते हैं जिन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है। दुर्भाग्य, से उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर भी विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाकर मामले को उच्च न्यायालय को नए सिरे से विधि अनुसार विचार करने के लिए पुनः भेजा गया।(पैरा 3 और 4) (361 एफ, जीः 362 ए, बी

सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम चीफ इंजिनियर पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्य

संदर्भ

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं0 1071 सन् 2002

दिल्ली उच्च न्यायालय आई0 पी0 ए0 नं0 622 सन् 2001 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 08-11-2001 से।

अशोक भान आशा जी- नायर व श्रीकान्त एन- टर्डल अपीलार्थी के लिए।

ललिता कौशिक बी-वी- बलराम दास व देवीदास मिश्रा उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत जे0 द्वारा दिया गया

1- पक्षकारान की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2- इस अपील में चुनौति दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पा्रप्त आदेश को दी गइर् है जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर्स अपील पेटेन्ट को खारिज कर दिया गया है जिसमें एक विद्वान न्यायालय द्वारा पा्रप्त आदेश पर सवाल उठाया गया।

3- खण्डपीठ द्वारा इस न्यायालय के रिट पिटिशन नं0 59, 60, 563 और 570 सन् 1983 *सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम चीफ इंजिनियर पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्य* दिनांकित 17-01-1986 को संदर्भित किया गया। खण्डपीठ द्वारा इस न्यायालय के आदेश का उल्लेख करने के अलावा यह तक भी नहीं दर्शाया गया कि दोनों में तथ्य परिस्थिति एक प्रकार कैसे थी। सुरेन्द्र सिंह प्रकरण इस संदर्भ में था कि दैनिक वेतन भोगियों को समान कार्य के लिए स्थाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले समान वेतन का

अधिकार प्ारप्त है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई तथ्यात्मक खोज नहीं है कि जो काम किया गया था वह अभिन्न हो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिन्दु जैसे साईकिल भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, वेतन वृद्धि आदि पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि यह केवल उन श्रमिकों को देय होते हैं जिन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर भी विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाकर मामले को उच्च न्यायालय को नए सिरे से विधि अनुसार विचार करने के लिए पुनः भेजा गया।

4- इस कारण उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाकर मामले को उच्च न्यायालय को नए सिरे से विधि अनुसार विचार करने के लिए पुनः भेजा गया। चूंकि मामला लम्बे समय से लम्बित है इसिलए उच्च न्यायालय को शीघ्रता से विशेषकर जुलाई 2008 के अन्त तक अपील के निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया गया।

5- अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति सिंह मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।